न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या– 137 / 2020
बिहार सरकार द्वारा अधीक्षक, मद्य निषेध, दरभंगा बनाम विशाल कुमार

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
22/01/2021	**आदेश**	

प्रस्तुत उत्पाद वाद अधीक्षक, मद्य निषेध, दरभंगा के पत्रांक – 546 / म0नि0, दिनांक–02.05.2020 से प्राप्त उत्पाद वाद कांड सं0–30 / 19 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन यामाहा फसीनो स्कूटी रजि0 नं0– **BR07AG-4188** को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गई। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी विशाल कुमार, पिता– दशरथ महतो, साकिन– धरमपुर रोड, लक्ष्मीसागर, जिला– दरभंगा को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस तामिला के पश्चात भी वे इस वाद की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए और न ही कारण पृच्छा दाखिल किये। न्यायहित में एक पक्षीय सुनवाई की गई।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों को गश्ती के क्रम में मिली गुप्त सूचना पर लक्ष्मीसागर तालाब के उत्तरी भाग में छापामारी के दौरान देखा गया कि बिना नम्बर का एक यामाहा फसीनो स्कूटी लावारिस अवस्था में खड़ी है। जिसका दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष विधिवत् तलाशी लेने पर उक्त वाहन के सीट के नीचे वाले डिक्की से इम्पेरियल ब्लू कम्पनी का 180 एम0एल0 का 13 बोतल विदेशी शराब तथा कैसीनो प्राईड कम्पनी का 180 एम0एल0 का 08 बोतल विदेशी शराब कुल 03.780 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ। जिसे विधिवत जब्त किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा से पत्राचार कर उक्त वाहन का रजि0 नं0 प्राप्त किया गया, जिसका रजि0 नं0– **BR07AG-4188** पाया गया। चुँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन एवं भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये।

विद्वान विभागीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन यामाहा फसीनो स्कूटी रजि0 नं0– **BR07AG-4188** के डिक्की से अवैध शराब कुल–03.780 लीटर बरामद हुआ, जिसे उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों द्वारा विधिवत जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम –2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

विपक्षी वाहन स्वामी को कारण–पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस तामिला के पश्चात समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वे इस वाद की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए और न ही

कारण पृच्छा दाखिल किये। जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हे इस संबंध में कुछ नही कहना है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में उत्पाद वाद कांड सं0–30/19 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन यामाहा फसीनो स्कूटी रजि0 नं0– **BR07AG-4188** को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, मद्य निषेध, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा